

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(3)न्याय/2018

जयपुर, दिनांक

25 JUN 2018

--:अधिसूचना:-

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय की सिफारिश पर, किराया अपील अधिकरण, अजमेर को जिला न्यायाधीश, अजमेर से समय-समय पर स्थानान्तरित किये जाने वाले दीवानी प्रकरणों की सुनवाई व निस्तारण का अधिकार प्रदान करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

प्रमुख शासन सचिव

[Handwritten Signature]
25/6/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक: सामान्य/11/9/2018/ 811

दिनांक: 29/06/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वास्ते सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ, जयपुर, (रजिस्ट्रार सीपीसी, रा.उ.न्या. जयपुर को वास्ते अपलोड करने उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर)
2. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश
3. संबंधित न्यायालय
4. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
5. प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक, गोपनीय/ रा.न्या.से.(स्था.शाखा)/अधीनस्थ न्यायालय(स्था.शाखा)/ बजट/ भवन/ सांख्यिकी, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

[Handwritten Signature]
29.6.18
रजिस्ट्रार (नियम)